समक्षः— श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

मुरारीलाल गुप्ता वल्द सतीशचंद्र गुप्ता

साकिन शाहपुर तह0 शाहपुर जिला बैतूल

—पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1 अशोक मालवीय वल्द बनवारीलाल मालवीय

साकिन शाहपुर तह0 शाहपुर जिला बैतूल

2 नरेश मालवीय वल्द बनवारीलाल मालवीय

साकिन शाहपुर तह0 शाहपुर जिला बैतूल

3 अमन मालवीय वल्द सुरेश मालवीय, साकिन

शाहपुर तह0 शाहपुर जिला बैतूल

— गैरपुनरीक्षणकर्ता गण

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गतधारा 50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959

सविनय प्रस्तुत है:—

पुनरीक्षणकर्ता श्रीमान तहसीलदार महोदय शाहपुर जिला बैतूल के द्वारा राजस्व प्रकारण क्रमांक 17 अ/ 12 वर्ष 2014—15 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2015 से व्यतित होकर श्रीमान के समक्ष यह पुनरीक्षण समय सीमा में विहित शुल्क के साथ प्रस्तुत कर रहा है।

प्रकरण के तथ्य

पुनरीक्षणकर्ता एवं गैरपुनरीक्षणकर्ता कि भूमि ग्राम शाहपुर में स्थित है पुनरीक्षणकर्ता कि भूमि पुरान बस स्टेण्ड शाहपुर में खसरा क्रमांक 113 / 5 रकबा 0.009 हें. एवं गैरपुनरीक्षणकर्ता गण कि भूमि खसरा क्रमांक 113/4 रकबा 0.008 हें. तह0 शाहपुर जिला बैतूल में स्थित है। जो आपस में एक दूसरे से लगे हुये है गैर पुनरीक्षणकर्ता गण द्वारा दिनांक 16.12.2015 को एक आवेदन मौजा शाहपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 113/4 रकबा 0.008 हे. के सीमाकन हेतु अधिनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। उक्त आवेदन पत्र पर तहसीलदार शाहपुर द्वारा प्रकरण में कार्यवही करते हुये सीमांकन आदेश जारी किया गया जो राजस्व निरीक्षक के नाम पर था।

राजस्व निरीक्षक एवं राजस्व पटवारी द्वारा गैरपुनरीक्षणकर्तागण के पक्ष में अत्यधिक रूचि लेकर निकटतम पड़ोसी भूमिस्वामी पुनरीक्षणकर्ता को बिना सूचना दिये गैरपुनरीक्षणकर्तागण को आर्थिक लाभ पहुंचाते हुये अपना आर्थिक हित साधन करके इस प्रकारण में विधि के प्रावधानो का

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-782-पीबीआर/16 **जिला -** बैतूल

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03/05/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार शाहपुर जिला बैतूल के प्रकरण क्र. 17/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 29.02.2015 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.2019 को कलेक्टर, जिला बैतूल के समक्ष उपस्थित हों। (बी.एम. शर्मा) सदस्य	